

राष्ट्रीय पिछ़ड़ा वर्ग आयोग

NCBC/08/03/704/2021-KSP

पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के साथ दिनांक 21.09.2021 की सुनवाई
का कार्यवृत्त

बैठक में उपस्थित सदस्य व अधिकारीगण:-

1. श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछ़ड़ा वर्ग आयोग
2. श्री राजेश कुमार, सलाहकार, राष्ट्रीय पिछ़ड़ा वर्ग आयोग
3. श्री शक्ति वत्स, नेशनल हैंड (लीगल), पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
4. श्री अरविंद यादव, शिकायकर्ता

सुनवाई का विस्तृत विवरण:-

1. माननीय आयोग द्वारा शिकायतकर्ता से कहा गया कि आप अपनी समस्या बताइये जिसके जवाब में शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि मेरे पिताजी ने लोन लिया था और मैं को-अपलिंकेंट था। इंश्योरेंस पिताजी की होनी चाहिये थी लेकिन उन्होने मेरा इंश्योरेंश कर दिया। आयोग द्वारा पूछा गया कि इंश्योरेंश किसने किया जिसके जवाब में शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि पीएनबी हाउसिंग ने ही फार्म भर कर भेजा था।
2. आयोग द्वारा पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नेशनल हैंड (लीगल) से पूछा गया कि आपके चीफ लाइसन ऑफिसर कहा है जिसके जवाब में नेशनल हैंड (लीगल), पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड द्वारा बताया गया कि हमारे यहां चीफ लाईसन ऑफिसर नहीं होता है। आयोग द्वारा पूछा गया कि आपके यहा कुल स्ट्रेंथ कितनी है जिसके जवाब में नेशनल हैंड (लीगल), पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड द्वारा बताया गया कि लगभग 2000 है लेकिन यह सरकारी संस्था नहीं है। आयोग द्वारा पूछा गया कि पीएनबी हाउसिंग

(1)



फाइनेंस लिमिटेड में पीएनबी बैंक का कितना प्रतिशत शेयर है जिसके जवाब में नेशनल हैड (लीगल), पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाउनेंस लिमिटेड द्वारा बताया गया कि पीएनबी बैंक का 32% शेयर है, कारलाइन का 32% शेयर के करीब है। आयोग द्वारा पूछा गया कि पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन है। जिसके जवाब में नेशनल हैड (लीगल), पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाउनेंस लिमिटेड द्वारा बताया गया कि पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के चेयरमेन श्री मल्लिकार्जुन, सीएमडी, पंजाब नेशनल बैंक है एवं एमडी श्री हरदयाल प्रसाद है। आयोग द्वारा पूछा गया कि चेयरमेन की क्या पावर है जिसके जवाब में नेशनल हैड (लीगल), पीएनबी हाउसिंग फाउनेंस लिमिटेड द्वारा बताया गया कि उनका कोई रोल नहीं है, खाली बोर्ड मीटिंग में रहते हैं डे-टू-डे अफेयर में वह नहीं है बाकी जानकारी हमारे कंपनी सैक्रेटरी बता सकते हैं। उन्होंने हमारे एमडी को पावर डेलीगेट कर रखा है आयोग द्वारा पूछा गया कि जब चेयरमैन ने पावर डेलीगेट किया है तो आपने कैसे कहा कि चेयरमैन को पावर नहीं है और वह डे-टू-डे अफेयर नहीं करेगे आयोग द्वारा कहा गया कि आपने अपनी स्टेटमेंट को तीन बार चैंज किया है। आप शपथ-पत्र पर लिखकर दीजिये कि कि चेयरमैन को कोई पावर नहीं है और डे-टू-डे एडमिनीस्ट्रेटिव कार्य में इंटरफेयर नहीं करते हैं।

3. आयोग द्वारा शिकायतकर्ता से पूछा गया कि आपके पास कितना लोन था जिसके जवाब में शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि 35 लाख का लोन था इंश्योरेंस बाद में किया गया जो हमे पार्ट्स में दिया गया इन्होंने इंश्योरेंस को कंपल्सरी बता कर हमारे लोन को एकटेंड कर दिया हमको इंश्योरेंस दिया गया और फार्म पर हस्ताक्षर भी करा लिये गये। जहा पर नॉमिनी में हस्ताक्षर मेरे हैं और इसमें वह अमाउंट बढ़ाया गया है जो इंश्योरेंस कंपनी को दिया गया है। आयोग द्वारा पूछा गया कि क्या आपके पास यह सब प्रमाण है। (आयोग को प्रमाण दिखाये गये)। शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि लोन दिनांक 13.09.2010 से शुरू हुआ है और इंश्योरेंस 1 महीने बाद में हुई है। इन्होंने चेक नहीं दिया बल्कि पहले 32

(2)



लाख फिर 16 हजार, 39 हजार इस तरीके से इन्होने बाद में कंशेक्षण लोन है कहा गया कि आप 32 लाख रजिस्ट्री के टाइम पर ले लो।

4. आयोग द्वारा कहा गया कि अगले सप्ताह प्रबंध निदेशक, टाटा एआईजी और प्रबंध निदेशक, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस को आयोग में सुनवाई के लिये बुलाया जाये।

सुनवाई सम्पन्न।

Mata
(श्री शक्ति वत्स)
नेशनल हैड (लीगल),
पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड



कौशलेन्द्र सिंह पटेल
(श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल)
माननीय सदस्य,
राष्ट्रीय पिछळा वर्ग आयोग